निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
114/2017 वाद पत्र	08.09.2017	11.06.2019

वाद पत्र : अन्तर्गत धारा 88–89–53–188 आर.टी.ए.

उनवान

1. रूपा पिता सुखा कहार निवासी शाहपुरा

2–3 हीरा, घीसी पुत्री सुखा कहार निवासी शाहपुरा

4. देबी पिता उदा कहार निवासी शाहपुरा

5. सुरजा पिता रूपा कहार निवासी शाहपुरा – वादीगण

बनाम

1. गीता पत्नी रामपाल कहार निवासी शाहपुरा

2–7 किशन, ईश्वर, दिनेश, कान्ता, अन्नु, डाली, पिता रामपाल कहार निवासी शाहपुरा

8–9 कैलाश, कालू पिता रामपाल कहार उम्र नाबालिग जरिये माता गीता बेवा रामपाल कहार निवासी शाहपुरा

10 नूर बाई पत्नी इब्राहिम कायमखानी निवासी शाहपुरा

11 उस्मान पिता इब्राहिम कायमखानी निवासी शाहपुरा

12–15 बुन्दू बाई, ताजबानू, अजीज बानू, सोना बानू पिता इब्राहिम कायमखानी निवासी शाहपुरा

16 प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाहपुरा

17 तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है से है : कस्बा शाहपुरा तहसील शाहपुरा में बाली बेवा सुखा कहार के खातेदारी की आराजी नम्बर 776/4क रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व आराजी नम्बर 776/4ख रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिस पर खातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग में ले रही थी। बाली कहार ने 4,000/–रुपये में दिनांक 17.06.1977 को बिकाव पत्र सुखा पिता मोती, देबी पिता उदा व सुरजा पिता रूपा कहार के पक्ष में लिखाते हुए पंजीयन करवाया। बिकाव की तारीख से ही कब्जा खरीददार को सिपुर्द कर दिया, तब से ही खरीददार काबिज होकर उपयोग उपभोग में ले रहे है। बिकाव पत्र के आधार पर इन्तकाल नम्बर 2689 से खरीददारान् के पक्ष में तय किया, जिसका इन्द्राज तत्कालीन जमाबंदी में किया गया। खरीददार सुखा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान् वादीगण 01 लगायत 03 व रामपाल के पक्ष में खाला गया। श्री रामपाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान् प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 होने से पक्षकार बनाये गये है। वादीगण नं. 04 व 05 खरीददार होकर वर्तमान जमाबंदी में खातेदार के रूप में नाम दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी नम्बर 4 द्वारा प्रतिवादीगण नं. 16 से ऋण लेने से पक्षकार बनाया गया है, प्रतिवादीगण नं. 17 लेण्ड होल्डर होने पक्षकार बनाया गया है। पैरा नं. 02 में वर्णित खरीदशुदा आराजियात् के पड़ौस में इब्राहिम खां पिता चिराग खां की आराजियात् स्थित होकर उसकी मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण 10 लगायत 15 वारिसान् होकर काबिज होने से पक्षकार बनाये गये है। वादीगण, प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 का प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 से विवाद होने के कारण पक्षकार बनाये गये है। शाहपुरा तहसील में सेटलमेंट का कार्य चला जो पूर्ण हो चुका है। सेटलमेंट के बाद पुराने नम्बरों के नये नम्बर निम्नानुसार बनें है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

वादीगण की आराजियात्

पुराने आ. नम्बर	रकबा	नये आ.नम्बर	रकबा
776/4क	3 बीघा 15 बिस्वा	2352	1.62 है.
776/4ख	9 बीघा 11 बिस्वा		

776/4ख	9 बीघा 11 बिस्वा	2353	0.90 है.
		2357	0.19 है.
		2358	0.23 है.
		2348/9758	0.42 है.

इब्राहिम खां के वारिसान् प्रतिवादीगण 10 लगायत 15 की आराजियात् :–

776/3मी.	2 बीघा 3 बिस्वा	2348	0.54 है.

सेटलमेंट वालों ने गलत तरीके से आराजी नं. 2348 रकबा 0.54 है. को इब्राहिम खां के नाम दर्ज कर दी। जबकि 2348 पर इब्राहिम खां स्वयं व उनके वारिसान् का कभी भी कब्जा नहीं रहा। आराजी नं. 2348 पर खरीद की तारीख से वादीगण, प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 स्वयं व उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है। इसी तरह सेटलमेंट वालों ने आराजी नं. 2348/9758 रकबा 0.42 है. वादीगण व रामपाल कहार के नाम दर्ज कर दी, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण व रामपाल कहार का कब्जा कभी भी नहीं रहा। इब्राहिम व उनके वारिसान् का कब्जा जबसे आराजी खरीद की तब से चला आ रहा है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 के खिलाफ इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वादी के पैरा नं. 02 व 04 में वर्णित आराजियात् में से आराजी नं. 2348 रकबा 0.54 है. में से 0.42 है. पर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 का कब्जा वक्त खरीद से होने के बावजूद

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

सेटलमेंट वालों द्वारा अवैध तरीके से इब्राहिम खां के नाम दर्ज कर दी है। जो इब्राहिम खां के नाम से हटाकर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 के नाम पर इन्द्राज किये जाने व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2348/9758 रकबा 0.42 है. व शेष रकबा आराजी नं. 2348 का 0.12 है. कुल किता 02 रकबा 0.54 है. का इन्द्राज इब्राहिम व इब्राहिम की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान् प्रतिवादीगण 10 लगायत 15 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश बक्षावें। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पैरा नं. 02 व 04 में वर्णित आराजियात् में से आराजी नं. 2348 रकबा 0.54 है. में से 0.42 है. आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 का कब्जा खरीद से होने के कारण कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पैरा 02 व 04 में वर्णित आराजियात् में से आराजी नं. 2348 रकबा 0.54 है. में से रकबा 0.42 है. बदिशा दक्षिण की ओर वादीगण नं. 05 का कब्जा अन्य सहखातेदारान् की सहमति से होने के कारण प्रतिवादीगण नं 10 लगायत 15 स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरों या एजेन्टों से किसी भी तरह से बेदखल नहीं करें व करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 11, 16 बावजूद सम्मन नोटिस उपस्थित नहीं होने से दिनांक 15.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण नं. 17 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण प्रतिवादीगण 12, 13, 14, 15 की तलबी हेतु नियत किया गया। दिनांक 05.03.2018 को प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 की ओर से अभिभाषक श्री

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

अक्षयराज रेबारी द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई। दिनांक 27.05.2019 तक प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 की ओर से अधिकार पत्र पेश नहीं करने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाबदावा पेरोकार सरकार हेतु नियुक्त किया गया। वादी नम्बर 5 सुरजा का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया जो पी डब्ल्यू 01 है। दिनांक 03.06.19 को जवाबदावा पेरोकार सरकार बन्द किया गया। शपथपत्र पूर्व में ही प्रस्तुत हो जाने से ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से मूल दस्तावेज पर प्रदर्श लगाये गये जो प्रदर्श 01 से प्रदर्श 10 है। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस में अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात् के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रदर्श 03 का अवलोकन करने से यह जाहिर आता है कि मु. बाली द्वारा सुखा, देबी व सुरजा के पक्ष में दिनांक 16.07.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त दस्तावेज में वर्णित आराजियात् खरीद किया जाना जाहिर आता है जो प्रदर्श 03 है। प्रदर्श 06 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 में दोनों आराजियात् खरीददारान् के नाम पर दर्ज होना जाहिर आता है। इसी तरह प्रदर्श 07 जमाबंदी में इन्द्राज प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 के पति व पिता श्री इब्राहिम खां के नाम पर दर्ज होना जाहिर आता है। प्रदर्श 08 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुरानी जमाबंदी में वादीगणों के नाम दर्ज आराजियात् के नये नम्बर ऊपर वर्णित अनुसार बनना जाहिर आता है। इस आधार पर प्रदर्श 09 व प्रदर्श 10 का अवलोकन किया गया। इनके अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 2348 रकबा 0.54 है. जो वर्तमान में श्री इब्राहिम खां के नाम दर्ज है जबकि कब्जा उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा 0.42 है. पर है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 9758/2348 रकबा 0.42 है. पर कब्जा श्री इब्राहिम के वारिसान् प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 का मौके पर है इसकी ताईद पी डब्ल्यू 01 श्री सुरजा ने अपने शपथ पत्र में की है। जिसका खण्डन किसी भी प्रतिवादीगणों द्वारा उपस्थित होकर नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

:: **आदेश** ::

वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89–53–188 आर.टी. ए. स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 व खिलाफ प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा में स्थित वर्तमान आराजी नम्बर 2348 रकबा 0.54 है. में से 0.42 है. का वादीगण, प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादीगण, प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 09 के नाम पर दर्ज आराजी नं. 9758/2348 रकबा 0.42 है. व आराजी नं. 2348 रकबा 0.54 है. में से 0.12 है. का प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारान् के कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रति में तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/–रुपये कमीश्नर राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर राशि मौके पर वादीगण से प्राप्त करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्राथमिक **डिक्री व मुकदमा इब्तदाई**

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक RAS.

1 श्री रूपा S/o सुरजा कहार
2-3- हीरा, चौसी D/o सुरजा
4- देवी S/o उदा कहार
5- सुरजा S/o रूपा कहार
नि० शाहपुरा।
वादीगण

बनाम श्री गीता W/o रामपाल कहार
2-7- किशन, ईश्वर, दिनेश, कान्ता, अन्नु, डाली पिता रामपाल कहार नि० शाहपुरा
8-9- कैलाश, कालु S/o रामपाल ना० बा० जरिये माता गीता W/o रामपाल कहार
10- नूरबाई W/o इब्राहिम कायमखानी नि० शाहपुरा
11- उस्मान S/o इब्राहिम
12-15 - मुन्नु बाई, ताजबानो, अजीज बानो, सोना बानु पिता इब्राहिम कायमखानी नि० शाहपुरा
16 - प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाहपुरा
17 - तहसीलदार शाहपुरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर 114 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ✗ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती हैं कि :– वाके ग्राम शाहपुरा में स्थित वर्तमान आ० नं. 2348 रकबा 0.54 हे० मेसे 0.42 हे० का वादीगण, प्रतिवादी गण नं. 1 लगायत 9 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है इसी प्रकार वादीगण, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 के नाम पर दर्ज आ० नं. 9758/2348 रकबा 0.42 हे० व आ० नं. 2348 रकबा 0.54 हे० मेसे 0.12 हे० का प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार मौके पर मौजूद एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पक्षकारान के कब्जे काश्त में रखते हुये बटवाड़ा कर बटवाड़ा स्कीम मय नक्शा केस 2 प्रति मे तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/- कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादीगण से प्राप्त करे। निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 11 माह 6 सन् 2019

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(मोहर: उप खण्ड अधिकारी ... भीलवाड़ा)

शोधित प्राथमिक

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक RAS

1 श्री कृपा S/o सुरजा कहार
2-3- हीरा, प्यारी पिता सुरजा
4- देवी S/o ऊंका कहार
5- सुरजा S/o कृपा कहार
निवासियान शाहपुरा
– वादीगण

बनाम श्री गीता W/o रामपाल कहार
2-7- किशन, ईश्वर, दिनेश, फान्ता अच्छु, डाली S/o रामपाल कहार नि० शाहपुरा
8-9- कैलाश, कालु S/o रामपाल जरिये माता गीता W/o रामपाल कहार
10- नूर बाई W/o इब्राहिम कायमखानी नि० शाहपुरा
11- उस्मान S/o इब्राहिम – –
12-15- गुड्डु बाई, ताजबानू, अजीज बानू, सोना बानू पिता इब्राहिम कायमखानी नि० शाहपुरा
16- प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाहपुरा
17- तहसीलदार शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर 114 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व x मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। संशोधित प्राथमिक डिक्री दी जाती हैं कि :– इस न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दि० 11-6-19 में वर्णित आ० नं. 2348 व 9758/2348 के साथ साथ मौजा शाहपुरा में शेष रही आ० नं. 2352 रकबा 1.62 हे०, 2353 रकबा 0.90 हे०, 2357 रकबा 0.19 हे०, 2358 रकबा 0.22 हे० कुल किता 4 रकबा 2.94 हे० का भी नोट्स पेज बाउण्ड्स के आधार पर वादीगण, प्रतिवादीगणों लगायत 9 के मध्य कब्जे को ध्यान में रखते हुये बटवारा के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को 5000 कमिशन राशि पर डिग्री जारी कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशन राशि मौके पर वादीगण से प्राप्त करे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 1 माह 7 सन् 2019

उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक RAS

श्री 1 रूपा S/o सुरखा कहार
2-3- हीरा, धीसी D/o सुरखा
4- देबी S/o ऊदा कहार
5- सुरखा S/o रूपा कहार
निवासीयान शाहपुरा तह० शाहपुरा — वादीगण

बनाम श्री 1 गीता W/o रामपाल कहार
2-7- किशन, ईश्वर, दिनेश, कान्ता, अन्नु, डाली S/o रामपाल कहार नि. शाहपुरा
8-9- कैलाश, कालु S/o रामपाल नाबालिग जरिये माता गीता W/o रामपाल कहार
10- नूरुद्दीन W/o इब्राहिम कायमखानी नि. शाहपुरा
11- उस्मान S/o इब्राहिम "
12-15- कुन्दु बाई, ताजबानु, अजीज बानु, सोना बानु D/o इब्राहिम कायमखानी नि. शाहपुरा
16- प्रबंधक भा. स्टेट बैंक "
17- तहसीलदार शाहपुरा — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89, 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर 114 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

तहसीलदार शाहपुरा प्रेषित बंटवाड़ा स्कीम अनुसार वादीगण / प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम शाहपुरा में स्थित आ० नं. 2348, 9758/2348, 2352, 2353, 2357, 2358 का निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है

1 – वादीगण नं. 1, 2, 3 रुपा S/o सुरखा, हीरा, धीसी D/o सुरखा व प्रतिवादीगण / लगायत 9. गीता W/o रामपाल, किशन, ईश्वर, दिनेश, कान्ता, अन्नु, डाली S/o रामपाल, कैलाश, कालु S/o रामपाल ना० बा०

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलबाकी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 2019

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

सरपरस्त माता गीता w/o रामपाल कहार नि० शाहपुरा के नाम दर्ज किया जावे।

आ० नं०	रकबा	किस्म	लगान
2352/1	1.04	चा० II	5.20

2 – वादी नं. 4 देवी s/o उदा कहार नि० शाहपुरा के नाम दर्ज किया जावे। रहन बदस्तूर रहेगा

आ० नं.	रकबा	किस्म	लगान
2352/2	0.58	चा० II	2.90
2353/1	0.46	"	2.30
	1.04	–	5.20
कित्ता 2			

3 – वादी नं. 5 सुरता s/o रूपा कहार निवासी शाहपुरा के नाम दर्ज किया जावे।

आ० नं.	रकबा	किस्म	लगान
2348/2	0.42	चा० III	1.26
2353/2	0.44	चा० II	2.20
2353	0.127	"	0.64
2358	0.05	"	0.25
कित्ता 4	1.037	–	4.35

निरन्तर — 3

महा...
शाहपुरा (...

प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 15 - कुरबान s/o इब्राहिम उस्मान, कुन्दु बाई, ताज बानु, अजीज बानु, सोना बानु s/o इब्राहिम कायमखानी निवासियान शाहपुरा के नाम दर्ज किया जावे

खाता नं.	रकबा	किस्म	लगान
9758 / 2348	0.42	बा० II	2.10
			0.36
2348 / 1	0.12	चा० III	
	0.54	—	2.46
किता 2			

नोट - शेष भूमि 0.243 हे० पूर्व में ही सड़क में चली जाने से NHI के नाम दर्ज हो चुकी है) जो वादी नं. 5 सुरजा के कब्जे काश्त में थी।

उपरोक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)